

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प4(45)नविवि/II/2017 (लूज)

जयपुर, दिनांक

17 FEB 2019

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.01.2019 में अंकित श्री भंवरसिंह चौधरी के स्थान पर श्री भंवरलाल चौधरी पढा जावे। शेष यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

45

(कन्हैयालाल स्वामी)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरि. शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री भंवरसिंह चौधरी, अधिशाषी अभियंता (विद्युत)
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

45

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम